न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 88/2020

प्रार्थीगण –

1. मांगीलाल पुत्र सुखदेव जाति–ब्राहमण, उम्र वयस्क
2. ताराचन्द पुत्र सुखदेव जाति–ब्राहमण, उम्र वयस्क
3. पार्वती पत्नि मनीराम जाति–ब्राहमण, उम्र वयस्क
4. नेमीचन्द दत्तक पुत्र मनीराम, जाति–ब्राहमण, उम्र वयस्क

निवासीगण–तंवरा, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
2. सीताराम पुत्र शेराराम जाति–ब्राहमण, निवासी–तंवरा तहसील–जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार जायल उपस्थित।
3. अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

दिनांक : 15/03/2021

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अन्य की खातेदारी भूमि के खेताय मौजा छापड़ा तहसील जायल जिला–नागौर में खसरा नं. 527, 527/980, 527/981, 527/906 व खसरा नं. 538 अन्य खेतो के साथ आये हुये थे। इनके अलावा अन्य खेताय मौजा ढाकासर एवं तंवरा में भी आये हुये थे। जिनके विभाजन के लिए एक राजस्व वाद संख्या 37/2013 बअनवान सीताराम बनाम देवीलाल वगैरह न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 12.12.2014 को माफिक वाद एवं संलग्न नजरी नक्शानुसार विभाजन स्वीकार

15/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

किया जाकर खसरा नं. 527/980 रकबा 40 बीघा में से 0.15 बीघा रास्ता घोषित करते हुये डिक्री आदेश जारी किये गये।

उक्त डिक्री आदेश में प्रस्तुत नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता तो खसरा नं. 527/981 के उतरी सीमा तक दर्शाया गया जो कि सिर्फ आपसी आवागमन के लिए था। लेकिन रास्ता के लिए रास्ता भूमि केवल खसरा नं. 527/980 में से ही दर्ज करने का निवेदन किया तथा इसी खसरा की भूमि में रास्ता रेकर्ड में दर्ज करना था, परन्तु उक्त डिक्री आदेश का अमल दरामद जब किया गया तब पटवारी हल्का ने बाकी अमल दरामद तो सही कर दिया लेकिन रास्ता के लिए रखी गई 0.15 बीघा भूमि तो खसरा नं. 527/980 में से कम कर दी तथा उसी खसरा में से रास्ते के लिए जमीन दर्ज कर दी। उसके खसरा नम्बर 1384/980 भी डाल दिये, लेकिन जब रास्ता की तरमीम नक्शा में की गई तो उस रास्ता को खसरा नं. 527/980 के अलावा खसरा नं. 981 की उतरी माठ तक दर्ज कर दिया, जबकि खसरा नं. 1384/980 वहां होना संभव ही नही था क्योंकि खसरा नं. 527/980 से आगे उसके बट्टा नम्बर कैसे पड़ सकते थे।

इस प्रकार रास्ता खसरा नं. 1384/980 जिसके लिए भूमि 0.15 बीघा ही थी तथा प्रस्तावित रास्ता से ज्यादा दूरी तक रास्ता दर्ज किया तो रास्ता की चौड़ाई कम हो गई क्योंकि भूमि तो 0.15 बीघा ही थी लम्बाई बढा दी जिससे रास्ता की चौड़ाई कम होकर लगभग 6 फीट ही रह गई। इस गलत तरमीम के बाद भी सभी खातेदार अपने–2 सही स्थान पर काश्त करते रहे तथा रास्ता से आवागमन करते रहे तथा नक्शे की तरफ ध्यान ही नही दिया। लेकिन अभी कुछ दिनो पहले इसका ज्ञान होने पर अब खसरा नं. 527/980 के खातेदार के पुत्रो ने रासता 6 फीट छोड़ते हुये पट्टिया रोप दी है जिससे यह रास्ता किसी भी उपयोग के लायक नहीं रहा है तथा खसरा नं. 527/980 के खातेदार के पुत्रों ने अपने नाम से अधिक दर्ज भूमि पर कब्जा भी कर लिया है।

अतः गलत इन्द्राज का ज्ञान होने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दुरूस्ती के लिए पेश किया है उपरोक्त खेत खसरा नं. 527/980 में पड़े बट्टा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

नम्बर 1384/980 जो रास्ता 15 फीट चौड़ा दर्ज सही स्थान पर तरमीम किया जाना न्याय संगत है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार जायल को जवाब/मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में अप्रार्थी तहसीलदार जायल ने जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/58/05.01.2021 के मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर ने सीताराम पुत्र शेराराम की ओर से प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने बाबत् एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार आपत्ति जाहिर नही करने पर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी सीताराम को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रकरण हाजा चाही गई तहसीलदार जायल भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा तैयार कि मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित नजरी नक्शा बताया कि मार्क ए से बी तक मौके पर 7 फीट चौड़ाई का रास्ता है, जिसके दोनो तरफ पट्टियां रोपी हुई है। रास्ता खसरा नं. 1384/980 रकबा 0.15 बीघा है। बिन्दू संख्या ए से डी तक की लम्बाई 1793 फीट है। जिससे रास्ते की चोड़ाई करीबन 7 फीट रहती हैं। रास्ते की भूमि खसरा नं. 527/980 में से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। पुराना खसरा नं. 527/980 व नक्शानुसार बिन्दू ए से सी तक है। खसरा नं. 1384/980 रकबा 0.15 बीघा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 527/980 का भाग होने से रास्ते की तरमीम बिन्दू ए से सी तक की जाती है तो रास्ते की चौड़ाई 14 फीट हो जायेगी।। जिससे आवागमन में किसी प्रकार समस्या नहीं रहेगी। बिन्दू ए से सी तक की लम्बाई 925 फीट है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 24.02.2021 को प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 को निरर्थक, गलत निराधार होने से अस्वीकार क0रते हुये जवाब में अंकित

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned with CamScanner

किया कि राजस्व वाद संख्या 37/2013 जो माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2014 को निर्णय किया गया। उस वाद के संलग्न नजरी नक्शा पर मुझ अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, उक्त वाद के साथ संल्गन नजरी नक्शा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये गये थे उसे हटाकर फर्जी व गलत नक्शा बनाकर वाद के साथ संलग्न किया। जिसकी जानकारी होते ही मुझ अप्रार्थी सीताराम द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 20.09.2020 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः जब मूल वाद डिक्री किया गया उसकी अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट बाबत् दुरूस्ती खारीज योग्य होने से खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी पक्ष का जवाब भी प्राप्त हो चुका है इसलिए किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है इसलिए वकुलाय की सहमति पर प्रकरण हाजा को वास्ते बहस नियत किया गया।

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व–वाद संख्या 37/2014 अनुवान सीताराम बनाम देवीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2014 के की पालना में पटवारी हल्का ने बाकी अमल दरामद तो सही कर दिया लेकिन रास्ता के लिए रखी गई 0.15 बीघा भूमि तो खसरा नं. 527/980 में से कम कर दी तथा उसी खसरा में से रास्ते के लिए जमीन दर्ज कर दी। उसके खसरा नम्बर 1384/980 भी डाल दिये, लेकिन जब रास्ता की तरमीम नक्शा में की गई तो उस रास्ता को खसरा नं. 527/980 के अलावा खसरा नं. 981 की उतरी माठ तक दर्ज कर दिया, जबकि खसरा नं. 1384/980 वहां होना संभव ही नही था क्योंकि खसरा नं. 527/980 से आगे उसके बट्टा नम्बर कैसे पड़ सकते थे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

इस प्रकार रास्ता खसरा नं. 1384/980 जिसके लिए भूमि 0.15 बीघा ही थी तथा प्रस्तावित रास्ता से ज्यादा दूरी तक रास्ता दर्ज किया तो रास्ता की चौड़ाई कम हो गई क्योंकि भूमि तो 0.15 बीघा ही थी लम्बाई बढा दी जिससे रास्ता की चौड़ाई कम होकर लगभग 6 फीट ही रह गई। इस गलत तरमीम के बाद भी सभी खातेदार अपने–2 सही स्थान पर काश्त करते रहे तथा रास्ता से आवागमन करते रहे तथा नक्शे की तरफ ध्यान ही नही दिया। लेकिन अभी कुछ दिनो पहले इसका ज्ञान होने पर अब खसरा नं. 527/980 के खातेदार के पुत्रो ने रासता 6 फीट छोड़ते हुये पट्टिया रोप दी है जिससे यह रास्ता किसी भी उपयोग के लायक नहीं रहा है तथा खसरा नं. 527/980 के खातेदार के पुत्रों ने अपने नाम से अधिक दर्ज भूमि पर कब्जा भी कर लिया है।

अतः गलत इन्द्राज का ज्ञान होने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दुरूस्ती के लिए पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नं. 527/980 में पड़े बट्टा नम्बर 1384/980 जो रास्ता तो 15 फीट चौड़ा दर्ज सही स्थान पर तरमीम किये जाने के आदेश पारित करावे।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा दौराने बहस दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2013 जिसका दिनांक 12.12.2014 को निर्णय किया गया। उस वाद के संलग्न नजरी नक्शा पर मुझ अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये गये थे उसे हटाकर फर्जी व गलत नजरी नक्शा बनाकर वाद के साथ संलग्न किया गया था, जिसकी जानकारी होते ही मुझ अप्रार्थी सीताराम द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 20.09.2020 को अपील प्रस्तुत की गई।

अतः जब मूल वाद 37/2013 में पारित डिक्री आदेश की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट बाबत् दुरूस्ती खारीज योग्य होने से खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् पूर्व के निर्णित प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में विचाराधीन प्रकरण की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 37/2013 अनुवान सीताराम बनाम देवीलाल वगैरह दिनांक 12.12.2014 में पारित डिक्री आदेश में शुद्धि/दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट में पेश किया है। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किये गये राजस्व वाद संख्या 37/2013 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अधीन धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन है।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित किसी निर्णय में यदि त्रृटि या अनुतोष रह जाता है, तो उसके लिए वादी/प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में पुनः परीक्षण (Review) अथवा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अथवा समक्ष न्यायालय में अपील पेश कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष संख्या 88/2020 अनुवान सीताराम बनाम मांगीलाल वगैरह अधीन धारा 223 आर. एक्ट. एक्ट के तहत विचाराधीन है, जो कि माननीय न्यायालय में ही पोषणीय है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय आदेश 12.12.2014 के ही पार्ट में प्रार्थना पत्र हाजा 136 आर.एल.आर. एक्ट में शुद्धि करवाना चाहते है। जो कि उक्त धारा के तहत कवर नहीं होता है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष जैर विचाराधीन अपील के चलते न्यायालय हाजा में प्रार्थी का अनुतोष पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष विचाराधीन अपील में गुणावगुण के आधार पर ही न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश 12.12.2014 में किसी प्रकार संशोधन संभव होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 में कवर नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

— : : आदेश : :—

हस्तगत प्रकरण अर्थात प्रार्थना पत्र हाजा के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष संख्या 88/2020 अनुवान सीताराम बनाम मांगीलाल वगैरह अधीन धारा 223 आर.एक्ट. एक्ट के सहायक कलक्टर जायल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2014 राजस्व वाद संख्या 37/2013 के संबंध में विचाराधीन होने से तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कवर एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15/03/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

15/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 04-01-2021 को श्रीमान तहसीलदार महोदय नागल के आदेश क्रमांक /मू.अ./2020/3477 दिनांक 02-12-2020 की पालना में ग्राम छापड़ा के ख० न० 527/980 के मौके पर पहुंचा। मौके पर बिन्दु A से D तक रास्ता चलता है। बिन्दु A से B तक मौके पर 7 फीट चौड़ा रास्ता है। जिसके दोनो तरफ पाटियां रोपी हुई है। रास्ता का ख०न० 1384/980 रकबा 0-15 बीघा है। बिन्दु A से D तक की लम्बाई 1793 फीट है। जिससे रास्ते की चौड़ाई करीबन 7 फीट रहती है। रास्ते की भूमि ख.न. 527/980 में से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। पुराना ख०न० 527/980 राजस्व रेकर्ड व नक्शा अनुसार बिन्दु A से C तक है ख० न० 1384/980 रकबा 0-15 बीघा गै. मु. रास्ता जो ख.न. 527/980 का भाग होने से रास्ते की तरमीम बिन्दु A से C तक की जाती है तो रास्ते की चौड़ाई 14 फीट हो जाएगी। जिससे आवागमन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बिन्दु A से C तक की लम्बाई 925 फीट है मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये

नजरी नक्शा

नेमीचन्द

अ.कि. मांगीलाल जाट

पटवारी ... तहसील ... (नागौर)
छापड़ा